भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1614
दिनांक 10.02.2026 को उत्तरार्थ

केरल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए निधि आवंटन और क्षमता निर्माण

†1614. श्री कोडिकुन्नील सुरेश

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्थानीय स्वशासन के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कोई विशेष क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण या डिजिटल शासन कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदम क्या हैं और स्व-स्रोत राजस्व बढ़ाने, समय पर निधि अंतरण और निधि उपयोग में शर्तों को कम करने के उपाय क्या हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए केरल राज्य को आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	आंवटन	जारी राशि
2022-23	1246.00	1246.00
2023-24	1260.00	1260.00
2024-25	1334.00	1334.00

15वें वित्त आयोग अनुदान के दो घटक हैं–अनटाइड और टाइड।15वें वित्त आयोग के तहत कुल अनुदान का 40% अनटाइड अनुदान, वेतन या अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत स्थान-विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

टाइड अनुदान, कुल अनुदान का 60%, का उपयोग (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और कीचड़ प्रबंधन शामिल है और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से परिपूर्ण कर दिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता

है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर 03.02.2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केरल राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए उक्त पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट किया गया क्षेत्र-वार व्यय अनुबंध में संलग्न हैं।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र प्रायोजित योजना संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य केरल सहित सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व भूमिकाओं हेतुअपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने मेंनिर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों की क्षमता निर्माण में सहायता करना है।

इस योजना के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों तथा अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही ग्राम पंचायत भवनों एवं कंप्यूटरों जैसी पंचायत अवसंरचना के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता दी जाती है, जिसमें सीमित स्तर पर ग्राम पंचायत भवनों में सामान्य सेवा केंद्र (CSCs) का सह-स्थापन भी शामिल है। हालांकि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रमुख घटक पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण है, जिसमें स्थानीय शासन, वित्तीय योजना, सतत विकास लक्ष्य, ई-गवर्नेंस टूल्स, सेवा प्रदायगी, पंचायत स्तर की योजना जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर अन्य सरकारी कार्यक्रमों के एकीकरण पर विशेष जोर दिया जाता है।

इसके अलावा, केरल सहित सभी राज्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ऑनलाइन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे लॉजिस्टिक बाधाएं कम होंगी और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित होगी। पंचायतों का ई-सक्षमकरण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का एक मुख्य घटक है जो पंचायती राज संस्थाओं को नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने, निगरानी करने और योजना बनाने के लिए डिजिटल प्रणालियों को अपनाने में मदद करता है।

इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न विशेष मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और पहल की गई है जैसे महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मॉड्यूल, ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत के सृजन पर मॉड्यूल और मॉडल युवा ग्राम सभा पहल जिसे केरल स्थानीय स्वशासन विभाग ने अपने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिलिपित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना में, विशेष प्रशिक्षण घटक के तहत, केरल राज्य को 7500 निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2.65 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पिछले तीन सालों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहतकेरल को जारी की गई राशि और उसके उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:-

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जारी की राशि	उपयोग की गई राशि*
2022-23	30.40	23.13
2023-24	10.00	37.04
2024-25	10.00	32.65

* इसमें पिछले वर्षों की अप्रयुक्त शेष राशि तथा राज्य का अंश शामिल है।

मंत्रालय, आरजीएसए के तहत ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ई-पंचायत एमएमपी के हिस्से के रूप में विकसित ईग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ ईग्रामस्वराज के एकीकरण से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने में मदद मिलती है, जिससे निर्बाध धन प्रवाह सुनिश्चित होता है और देरी कम होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, केरल सहित देश भर में 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड की, और ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से विक्रेताओं को 61,000 करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए।

(ग) सरकार ने पंचायतों की राजस्व-उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और बाहरी धन पर कम निर्भर रहें। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपना अनिवार्य किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को इन प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने की वकालत कर रहा है, जिसमें राज्यों को पर्याप्त कार्यों, वित्त और पदाधिकारियों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के सहयोग से, मंत्रालय ने 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत के सृजन पर विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं।

वर्ष 2025 में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व स्रोत में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार शुरू किया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत के स्वयं के राजस्व स्रोत संग्रह को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित किया है जो कर और गैर-कर मांगों के सृजन और संग्रह, कर रजिस्टरों के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह डिजिटल सशक्तिकरण स्थानीय वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और मापनीयता लाने के लिए बनाया गया है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को "अपने राजस्व स्रोतों के उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य वित्तीय मॉडल की तैयारी" पर एक अध्ययन सौंपा था और अध्ययन रिपोर्ट मार्च, 2025 में प्रकाशित की गई थी।

पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के नाते, राज्य का विषय है। इस प्रकार जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों के पास है। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के अनुदान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए परिचालन दिशानिर्देशों में बताई गई अनिवार्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर राज्यों को अनुशंसित और जारी किए जाते हैं। राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के वितरण और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा राज्यों को एडवाजरी जारी की जाती हैं।

*****

अनुबंध

(दिनांक 10.02.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1614 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केरल राज्य द्वारा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए क्षेत्र -वार खर्च का विवरण (03.02.2026 तक)

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	केंद्रित क्षेत्र (Focus Areas) / वित्तीय वर्ष	**2022-23**	**2023-2024**	**2024-2025**
1.	प्रशासनिक और तकनीकी सहायता	6.52	4.83	6.64
2.	वयस्क और गैर-औपचारिक शिक्षा	0.38	0.13	0.01
3.	कृषि	6.06	2.55	2.27
4.	पशुपालन	2.78	0.25	0.39
5.	सांस्कृतिक गतिविधियां	4.24	2.26	0.71
6.	पेयजल	238.30	184.90	255.14
7.	शिक्षा	28.78	21.83	24.98
8.	परिवार कल्याण	1.62	0.15	0.07
9.	मत्स्य पालन	0.39	0.17	0.04
10.	ईंधन और चारा	0.05	0.00	0.00
11.	ग्राम पंचायत कार्यालय अवसंरचना	28.91	12.25	6.43
12.	स्वास्थ्य	14.63	28.12	30.19
13.	खादी	0.01	0.00	0.00
14.	भूमि सुधार	4.41	5.79	12.08
15.	पुस्तकालय	2.51	1.16	1.20
16.	सामुदायिक प्रणाली का रखरखाव	10.59	32.58	76.33
17.	बाजार और मेले	2.28	1.46	0.04
18.	लघु वन उत्पाद	0.14	0.00	0.00
19.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	2.55	2.87	10.79
20.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	13.81	3.55	3.02
21.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1.48	0.55	3.71
22.	सड़कें	162.01	140.89	184.30
23.	ग्रामीण विद्युतीकरण	63.90	37.98	26.53
24.	ग्रामीण आवास	25.13	18.21	31.93
25.	स्वच्छता	277.77	232.07	318.62
26.	लघु उद्योग	1.51	0.22	0.00
27.	समाज कल्याण	13.92	5.51	5.56
28.	तकनीकी प्रशिक्षण	0.56	1.31	2.95

	और व्यावसायिक शिक्षा			
29.	जनजाति कल्याण	0.07	0.00	0.00
30.	जल संरक्षण	5.12	4.57	3.16
31.	कमजोर वर्गों का कल्याण	2.00	0.84	0.70
32.	महिला बाल विकास	17.91	17.82	32.68
	कुल योग	**940.34**	**764.82**	**1040.47**

***